न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
856/2024	05.09.2024	04-09-2025

उनवान

1. नसिर पुत्र अहमद चीता, निवासी भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

–– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

–– विपक्षी

उपस्थित:–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री श्रवण कुमार सेन।**
2. **विपक्षी की और से पैराकार सरकार।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधित कराये जाने :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि वाके ग्राम भदालीखेडा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 156/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी नम्बर 156/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी ने खातेदार सुशील आत्मज बाबू भाई चीता से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 06.11.2023 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तभी से उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करता आ रहा है, लेकिन विक्रय पत्र निष्पादन के समय विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम नसिर अंकित करने के नासिर अंकित हो गया है, जिससे विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला गया उसमें भी प्रार्थी का नाम नासिर अंकित हो गया है, जो कि लिपिकीय त्रुटि एवं भूल वश प्रार्थी का नाम नसिर के बजाय नासिर अंकित हुआ है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेज के अनुसार सही नाम नसिर ही है, जिसे संशोधन पत्र से भी विक्रय पत्र में हुई त्रुटि को संशोधित करवा दिया है, लेकिन संशोधन पत्र के आधार पर भी प्रार्थी का नाम संशोधित नही किया है, इसलिए प्रार्थी का नाम संशोधित किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम तथा दस्तावेज के अनुसार नसिर है किन्तु विक्रय पत्र में नसिर के बजाय नासिर लिपिकीय त्रुटि एवं मूल वश अंकित हुआ है, जिसे संशोधन पत्र के जरिए संशोधित करवा दिया है, संशोधन पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम नासिर के बजाय नसिर किया जाने हेतु तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे जॉच हेतु पटवारी हल्का के पास भेजा गया किन्तु पटवारी हल्का ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया एवं न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दिनांक 05.08.2024 को दी गई, जिससे उक्त संशोधन किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम भदालीखेड़ा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 156/1 कुल किता 01 एक कुल रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि के खातेदार ऩासिर के बजाय नसिर संशोधित किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारीं किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 1273 दिनांक 02.06.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम भदालीखेडा पटवार हल्का आरजिया की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या नया 302 पुराना 323 में आराजी नम्बर 156/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर मे प्रार्थी का नाम नासिर पुत्र अहमद चिता जाति चीता सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी खातें में अंकित स्वंय के नाम नासिर को रेकार्ड पहचान दस्तावेज में अंकित नाम नसिर करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताया कि नसिर पिता अहमद व नासिर पिता अहमद नाम से एक ही व्यक्ति है अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों की जॉच करने पर भी यही पाया गया कि नसीर व नासीर दोनो एक ही व्यक्ति है। मौके पर प्रार्थी द्वारा कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराये गये जिसमें प्रार्थी का नाम नसिर पिता अहमद निवासी भदालीखेडा अंकित है। भविष्य में यदि कोई अन्य व्यक्ति होना पाया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात् का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भदालीखेडा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 156/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी नम्बर 156/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम नासिर पिता अहमद दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम नसिर पिता अहमद चीता अंकित है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम भदालीखेडा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 156/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम नासिर पिता अहमद चीता के बजाय नसिर पिता अहमद दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 04-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अर्पित कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा